

50

12/12/11

बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

अधिसूचना 13973 (5) 20/12/11

15/12/11

संख्या-प्र0-6/नियम-03-04/2002

/पटना, दिनांक.....

बिहार ठीकेंदारी निबंधन नियमावली 2007 के अन्तर्गत पथ निर्माण विभाग के अधिसूचना संख्या- प्र0-6/नियम-03-04/2002-13588 (एस) दि० 13.12.2011 सहपठित ज्ञापांक-13590 (एस) दि० 13.12.2011 द्वारा रुपये 25.00 लाख रुपये से कम लागत के कार्यों हेतु स्थानीय स्तर (जिला स्तर) पर संवेदकों के निबंधन किये जाने के निमित्त अधिसूचित "स्थानीय अभिकर्ता श्रेणी", अनुदेश के साथ अनुलग्न ठीकेंदारों के निबंधन/नवीकरण के लिए विहित आवेदन प्रपत्र, परिशिष्ट-क के क्रमांक-6 के उक्रमांक सं०-6 (2) में अंकित टिप्पणी को कृपया शुद्ध कर निम्नवत् पढ़ा जाय :- "6 (2)- नजदीकी संबंधी पद से अभिप्रेत है पति/पत्नी/पिता/माता/भाई/बहन/पुत्र अथवा पुत्री"।

2. कृपया इस हद तक उक्त (अधिसूचना) प्रपत्र को संशोधित समझा जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

Raj

(राजकिशोर प्रसाद)

सरकार के संयुक्त सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

13-01-12
51090
36
13-01-12

ज्ञापांक प्र0-6/नियम-03-04/2002 13974 (5) /पटना, दिनांक.....20/12/11

प्रतिलिपि :-महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द्र पटेल मार्ग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Raj

(राजकिशोर प्रसाद)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक प्र0-5/नियम-03-04/2002 13974 (5) /पटना, दिनांक.....20/12/11

प्रतिलिपि :-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7 को आगामी बिहार राजपत्र के अस्वधारण अंक में सर्व-साधारण की जानकारी हेतु प्रकाशनार्थ प्रेषित।
उनसे अनुरोध है कि उसकी एक हजार गजट प्रतियाँ पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार के उपाग हेतु उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

Raj

(राजकिशोर प्रसाद)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक प्र0-6/नियम-03-04/2002 13974 (5) /पटना, दिनांक.....20/12/11

प्रतिलिपि :-सभी प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष, सभी विभाग/सभी प्रमंडलीय आ-उत/सभी जिला पदाधिकारी/सभी निकाय, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Raj

(राजकिशोर प्रसाद)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक प्र0-6/नियम-03-04/2002 13974 (5) /पटना, दिनांक.....20/12/11

प्रतिलिपि :-सभी मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता (रॉ०प० उपभाग सहित) पथ निर्माण विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. सभी संबंधित कार्यपालक अभियंता, जिन्हें स्थानीय अभिकर्ता श्रेणी (श्रेणी-4) में ठीकेंदरों के निबंधन हेतु अधिकृत किया गया है, को निदेश दिया जाता है कि निबंधन हेतु योग्य आवेदन प्राप्त होने के 07 (सात) कार्य दिवसों के अन्दर निबंधन प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाय, इसे सुनिश्चित करेंगे।

Raj

(राजकिशोर प्रसाद)

सरकार के संयुक्त सचिव